कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-09.09.2024

विषयः- थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की कुल 27 अदद कटी हुई सरिया बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के धोखाधड़ी/चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के नेतृत्व में थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0339/2024 धारा 305 बी0एन0एस0 बढ़ोतरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना कैण्ट कमि0 वाराणसी से संबंधित वांछित शातिर अभियुक्तगण 1. राजेश सिंह पुत्र छोटेलाल सिंह निवासी ग्राम घुडदौड थाना चन्दवक जनपद जौनपुर, 2. विकास मिश्रा पुत्र अजय मिश्रा निवासी एस 8/364 आफीसर कालोनी खजुरी थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी व 3. गणेश साव पुत्र रघुनन्दन साव निवासी एस 24/91 टकटकपुर थाना कैण्ट कमि0 वाराणसी को दिनांक-08.09.2024 को समय करीब 01.25 बजे नदेसर सिल्क विला थाना कैण्ट वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की कुल 27 अदद कटी हुई छोटी-बड़ी सरिया बरामद हुई । उक्त गिरफ्तारी/बरादमगी के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक-07/09/2024 को वादी मुकदमा श्री जय प्रकाश गुप्ता निवासी S-24/108 टकटकपुर अर्दली बाजार थाना कैंट वाराणसी ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा क्षत्रधारी नगर स्थित उनके अर्ध निर्मित मकान से सरिया, वायरिंग फिटिंग का समान, प्लम्बिंग का सामान, बर्तन आदि चोरी करने के संबंध में लिखित तहरीर दिया, जिसके आधार पर थाना कैंट में मु0अ0सं0-0339/2024 धारा 305 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रवेश कुमार कुन्तल द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. राजेश सिंह पुत्र छोटेलाल सिंह निवासी ग्राम घुडदौड थाना चन्दवक जनपद जौनपुर, उम्र करीब 43 वर्ष।
2. विकास मिश्रा पुत्र अजय मिश्रा निवासी एस 8/364 आफीसर कालोनी खजुरी थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी, उम्र करीब 39 वर्ष।
3. गणेश साव पुत्र रघुनन्दन साव निवासी एस 24/91 टकटकपुर थाना कैण्ट कमि0 वाराणसी, उम्र करीब 42 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण राजेश सिंह, विकास मिश्रा व गणेश साव ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक-29/08/2024 की रात को हम तीनों ने मिल कर उक्त सरिया व अन्य सामान को एक घर के अन्दर से चोरी किया था बाकी छोटे-मोटे अन्य सामानों को हम लोगों ने मिलकर बेंच दिया है और उसका पैसा हमने अपने घर के खर्चों मे प्रयोग कर लिया है। आज हम लोग इस चोरी की सरिया को भी बेचने के लिए ले जा रहे थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- नदेसर सिल्क विला थाना कैण्ट वाराणसी से दिनांक-08.09.2024 को समय 01.25 बजे।

बरामदगी का विवरण-चोरी की कुल 27 अदद कटी हुई छोटी-बड़ी सरिया (10 अदद सरिया 6.5 फीट, 08 अदद सरिया 06 फीट व 09 अदद सरिया 7.5 फीट) बरामद।

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-0339/2024 धारा 305 बी0एन0एस0 बढ़ोतरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना कैण्ट कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 सुरेन्द्र शुक्ल थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 प्रवेश कुमार कुन्तल थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 अखिलेश कुमार यादव थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।
4. हे0का0 दुर्गविजय थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।
5. का0 अतुल कुमार पाण्डेय थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।